

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 मार्च 2021—फाल्गुन 12, शक 1942

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-03/आठ-परि./2021. — परिवहन विभाग द्वारा प्रारूप-7 में जारी स्मार्ट कार्ड टाइप ड्रायविंग लायसेंस, तथा प्रारूप 23 क में जारी स्मार्ट कार्ड टाइप रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, डाक विभाग द्वारा पोस्ट के माध्यम से आवेदक को भेजने तथा संबंधित व्यय हेतु नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार आवेदक से वसूल करने हेतु अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, तृतीय तल, सी-ब्लॉक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

तालिका

विवरण	प्रभार
(1)	(2)
पोस्ट एवं संबंधित व्यय हेतु प्रभार	रु. 50.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 3rd March 2021

NOTIFICATION

F. No. 5-03/trans-8/2021. — The following draft of notification to levy an additional charge from applicant mentioned in column (2) of Table below for sending Smart Card Type Driving Licence issued in Form-7 & Smart Card Type Registration Certificate in form 23(A) of Central Motor Vehicle Rules 1989 by the Transport Department to the applicant through post by the postal department and related expenses, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by rule 32 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of ten days from the date of publication of this notice in the Official Gazette;

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the office of the Transport Commissioner, Third floor, C-Block, Indrawati Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar, shall be considered by the Government of Chhattisgarh, namely :-

TABLE

Particulars	Charges
(1)	(2)
Charges for post and related expenses	Rs. 50.00

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.